

In D File

बिहार सरकार  
ऊर्जा विभाग

24

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0-प्र0/ब्रेडा विविध-115/15 19

पटना, दिनांक:- 08/08/17

ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश सं0-02 दिनांक 22.01.09 के आलोक में मो0 नुरुस्सलाम अंसारी, सेवानिवृत्त, तकनीशियन, ब्रेडा को सरकारी कर्मचारी ग्रुप बीमा योजना के अंतर्गत कुल रू0 66,160/- (छियासठ हजार एक सौ साठ रूपये) मात्र के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. मो0 नुरुस्सलाम अंसारी, सेवानिवृत्त, तकनीशियन, ब्रेडा की सेवावधि में उनके द्वारा माह 01/1986 से माह 12/2006 तक, ग्रुप बीमा योजना मद में किये गये अंशदान की गणना विवरणी निम्न प्रकार है:-

|    |   |  |
|----|---|--|
| 1. | समूह "ग" का सदस्य अंशदान  | रू0 80/- प्रतिमाह                          |
| 2. | ग्रुप बीमा में अंशदान प्रारंभ करने की तिथि  | 01.12.1986                                 |
| 3. | ग्रुप बीमा-सह-बचत योजना में अंशदान प्रारंभ करने की तिथि   | 01.04.1998                                 |
| 4. | नई ग्रुप बीमा योजना नियमावली 1997 के नियम 17 (1) के अधीन अनिवार्य ग्रुप बीमा-सह-बचत योजना में ब्याज सहित जमा अंशदान का भुगतेय राशि। | रू0 62795/-                                |
| 5. | नई ग्रुप बीमा योजना नियमावली-1997 के नियम 4 (1) के अंतर्गत ब्याज सहित बचत निधि की भुगतेय राशि।                                      | रू0 3365/-                                 |
| 6. | ग्रुप बीमा की कुल भुगतेय राशि।  | रू0 66,160/- (छियासठ हजार एक सौ साठ रूपये) |

3. स्वीकृत राशि की निकासी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना द्वारा करने के पश्चात् इसका भुगतान मो0 नुरुस्सलाम अंसारी, सेवानिवृत्त, तकनीशियन, ब्रेडा को उनके बैंक खाते के माध्यम से किया जायेगा।

4. यह व्यय लेखा शीर्ष "8011"-बीमा और पेंशन निधियों राज्य सरकार बीमा निधि (व्यय) के अंतर्गत विकलनीय है।

5. उक्त राशि की स्वीकृति के प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, ऊर्जा का अनुमोदन प्राप्त है।

(अनुज कुमार)  
सरकार के उप सचिव।